राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 89 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी लिमिटेड) शाखा कार्यालय–सी 25 भगवन्त दास रोड, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर –– प्रार्थी	**बनाम**	1. श्री विनित वी शर्मा पुत्र विजय कुमार शर्मा निवासी फ्लैट 505 एवं 506, फ्लोर 3, शांति टावर ब्लॉक–बी, प्लॉट 01, ग्राम आटूण, चित्तौडगढ़ रोड, भीलवाड़ा। ––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री अमित डागा।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 17.10.2022

प्राधिकृत अधिकारी, हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच. डी.एफ.सी लिमिटेड) शाखा कार्यालय–सी 25 भगवन्त दास रोड, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 45,00,000/– रूपये का ऋण दिनांक 22.06.2016 को स्वीकृत किया गया एवं 41,73,000/– रूपये का ऋण वितरित किया। । उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – श्री विनित वी शर्मा की सम्पत्ति जो कि फ्लैट 305 एवं 306, फ्लोर 3, शान्ति टॉवर ब्लॉक सी, प्लॉट 01, ग्राम आटूण, चित्तौडगढ़ रोड, भीलवाड़ा पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 2343 वर्ग फीट (बिल्ड अप) (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.05.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 59,82,220/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 07.05.2018 को नो परफोमिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।